नगरपालिका परिषद रामनगर नैनीताल

# नगरपालिका परिषद रामनगर नैनीताल
## शर्तें ठेका हाट बाजार
## वित्तीय वर्ष (2026–27)

ठेका हाट बाजार वार्ड नं0 20 चित्रकूट(मौ0 चोरपानी) में स्वीकृत स्थल पर लगाया जायेगा,हाट बाजार प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार के दिवस आयोजित किया जायेगा।

1. ठेका हाट बाजार शुल्क वसूली हेतु अवधि 01–04–2026 से 31–03–2027 तक होगी।
2. ठेके हेतु न्यूनतम धनराशि रू 15000=00 (पन्द्रह हजार) एवं 18 प्रतिशत (जी0एस0टी) अतिरिक्त निर्धारित है।
3. उक्त हाट बाजार का संचालन एवं रखरखाव निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।
4. निविदा प्रपत्र मूल्य रू 500.00 एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित 590.00 रू होगा।
5. निविदा (तकनीकी) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होंगे।
   - आधार कार्ड।
   - अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदारी (उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
   - पैन कार्ड।
   - राशन कार्ड या ऐसा दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यो की पुष्टि करता हो।
   - रू 1500.00 का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से बंधक एफ0डी0आर0 (मूल रूप) में जमानत धनराशि के रूप में।
   - निविदादाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - निविदादाता को प्रश्नगत हाट बाजार स्थल की भूमि के सम्बंध में स्वामित्व संबधी अभिलेख यथा खतौनी फ्री–होल्ड विलेख प्रस्तुत करना होगा।
   - सम्बन्धित भू स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
6. ठेका आबंटन हेतु सीलबन्द निविदा पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा ही प्राप्त किये जायेंगे। तकनीकि निविदा व वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग अलग होगा,तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफो का एक बड़े लिफाफे में बन्द कर सीलबन्द करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
7. तकनीकि निविदा में सफल पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदादाता को तुरन्त कुल स्वीकृत निविदा धनराशि का 1/2 भाग व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि सहित पालिका

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। स्वीकृत ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने एवं ठेका लिये जाने से मना करने पर ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा,एवं ठेका द्वितीय व तृतीय उच्चतर निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

9. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 03 दिवस के भीतर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी,जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर निविदा राशि का 02 प्रतिशत नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क ,महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र स0 –375/म0निनि0/2012–13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।

10. ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि 30 सितम्बर 2026 एवं 25 प्रतिशत 28 फरवरी 2027 कुल 50 प्रतिशत को दो समान किस्तो में जमा करना आवश्यक होगा,जिस हेतु 02 post dated cheque नगरपालिका कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा,अवशेष धनराशि की वसूली भू राजस्व के बकाये की भांति वसूली की जायेगी।

11. किसी भी तरह की आपदा या अन्य कारणो से व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा व्यवसाय बाधित होता है तो इसका समस्त उत्तरदायी स्वयं निविदादाता का होगा।

12. नगरपालिका परिषद रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यो को प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा।

13. निविदादाता को इकाई का संचालन स्वयं करना होगा। निविदादाता किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था को इकाई संचालित करने हेतु नामित/चयनित नही करेगा।

14. किसी भी प्रकार के कर अथवा जी0एस0टी0 यदि स्थानीय प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर आरोपित किये जाते है,तो किराये के अतिरिक्त उनके भुगतान का दायित्व पृथक से निविदादाता को होगा।

15. निविदादाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि ठेला फड़ व्यवसायियो द्वारा या अन्य किसी के भी द्वारा प्लास्टिक या खादय सामाग्री एवं बाजारी वस्तु का कचरा उक्त स्थल पर नही फेंकेगा तथा गन्दगी कदापि नही करेगा साथ ही परिसर की नियमित साफ सफाई करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य आता है तो ऐसी स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी अथवा रू 1000.00 प्रत्येक माह के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

16. ठेकेदार को हाट बाजार शुल्क वसूली की रसीदो के नमूने नगरपालिका परिषद कार्यालय से ले जाकर मजमून के अनुसार रसीद बुके अपने खर्चे से छपवानी होगी।
17. ठेकेदार द्वारा निर्गत की गयी हाट बाजार शुल्क की रसीदो को नगरपालिका परिषद के अधिकारियो को जांच करने का अधिकार होगा
18. हाट बाजार में स्वीकृत ठेकेदार को पालिका द्वारा हाट बाजार में लगने वाले फड़/ठेला व्यवसायियो से पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूला जायेगा।
19. चयनित निविदादाता द्वारा हाट बाजार पर तैनात कार्मिको की आई0डी0 कार्ड अनिवार्य रूप से स्वयं के व्यय पर बनायी जानी अनिवार्य होगी।
20. नगरपालिका परिषद रामनगर के प्रतिनिधि किसी भी समय उक्त स्थल में अभिलेखो के निरीक्षण करने हेतु स्वतन्त्र होगा। तथा किसी भी सम्बन्धित अभिलेख मांगे जाने पर तत्सम्बन्धी अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करना होगा।
21. निविदादाता द्वारा हाट बाजार शुल्क वसूली कार्य कार्यादेश की तिथि से प्रारम्भ करना होगा अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
22. ठेके की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 31–03–2027 की सायं 05.00 बजे ठेके का दखल ठेकेदार द्वारा नगरपालिका परिषद रामनगर को सौप दिया जायेगा,अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू–राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद या न्यायाधिकार मा0 न्यायालय रामनगर (नैनीताल) होगा।
24. ठेको का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 1000=00 (एक हजार रू0) दूसरी बार में 2,000=00 (दो हजार रू0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू–राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
25. निविदा की शर्ते अनुबन्ध का भाग होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, रामनगर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, रामनगर

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद